न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–306/18

01. पोखर पुत्र भूरा,
02. प्रहलाद पुत्र भूरा,
03. बाबूलाल पुत्र भूरा,
04. कैलाश पुत्र भूरा,
05. राकेश पुत्र भूरा,
06. रामचन्द्र पुत्र भूरा,
07. पुष्पा देवी पत्नी अर्जुन,
08. हरिनारायण पुत्र अर्जुन,
09. कमलेश पुत्र अर्जुन,
10. रेखा पुत्री अर्जुन नाबालिंग जरिये माता पुष्पा देवी समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बोबाड़ी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. चिरंजीलाल पुत्र गौरीसहाय,
02. प्रेम पुत्री गौरीसहाय,
03. मुन्नी देवी पुत्री गौरीसहाय,
04. नारायण पुत्र भैरूलाल,
05. घनश्याम पुत्र भैरूलाल,
06. जगदीश पुत्र भैरूलाल,
07. रतन लाल पुत्र भैरूलाल,
08. नारंगी पत्नी भैरूलाल, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
09. दुर्गाप्रसाद पुत्र भगवान सहाय,
10. महेद्र कुमार पुत्र भगवान सहाय,
11. मुकेश पुत्र बनवारी,
12. मनोज पुत्र बनवारी,
13. द्वारका प्रसाद पुत्र भैरूबक्स,
14. पवन कुमार पुत्र गैन्दालाल,
15. पंकज कुमार पुत्र गैन्दालाल,
16. मखनलाल पुत्र सीताराम,
17. कैलाश पुत्र सीताराम,
18. रतन लाल पुत्र सीताराम,
19. मातादीनप पुत्र भगवान सहाय, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम गठवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
20. अर्जुनलाल पुत्र मूलचन्द, जाति जाट, निवासी ग्राम जयचन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
21. कैलाश पुत्र प्रभातराम, जाति जाट, निवासी ग्राम शाहपुरा तनिया की ढाणी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
22. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

–– रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

निर्णय

दिनांकः09.10.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर के आदेश दिनांक 08.05.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 3.49 हैक्टयर का नक्शा उक्त निर्णय दिनांक 08.05.2018 द्वारा पूर्णतः प्रभावित हुआ है, अपीलार्थीगण उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 399 पर काबिज काश्त है, रेस्पोडेन्ट ने उक्त तथ्यों को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ ने बिना किसी जॉच एवं पत्रावली के अवलोकन करे बिना ही सरसरी तौर पर अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नही देकर बिना अपीलार्थीगण की मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध एवं तथ्यों से परे होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है निर्णय की दिनांक को कैम्प कोर्ट बोबाडी में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित नही हुऐ और ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसका ज्ञान अपीलार्थीगण को बिलकुल भी नही था जिसका फायदा उठाकर रेस्पाडेन्ट ने तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय को गुमराह करते हुये न्यायालय के समक्ष झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किये जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता पर विश्वास कर समस्त दस्तावेजात अपने अधिवक्ता को संभला दिये थे तथा अधिवक्ता ने कार्यवाही करने के लिऐ विश्वास दिया था किन्तु अधिवक्ता द्वारा कार्यवाही में उपस्थित ना होने के कारण न्यायालय के समक्ष उचित एवं वास्तविक तथ्य प्रकट नही हो सके है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त आराजीयात पर पूर्वजों के समय से ही अपीलार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है, रेस्पोडेन्ट ने जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण बदनियतीपूर्वक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नक्शा दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई भी ठोस आधार नही बताया है एवं ना ही कभी रेस्पोडेन्ट चिरंजीलाल व अपीलार्थीगण ने किसी प्रकार की उक्त आराजी के सम्बन्ध में कोई रोक–टोक या झगडा–टण्टा नही किया है इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट ने बदनियतीपूवर्तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नक्शा दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उन्होने कथन किया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय के समक्ष केवल कानूनी एवं स्वच्छ हाथों से आकर ही कोई वाद या अपील प्रस्तुत की जा सकती है किन्तु रेस्पोडेन्ट ने बदनियतीपूर्वक प्रभावित पक्षकार अपीलार्थीगण को सुने बगैर नक्शा दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उक्त राजस्व नक्शे में नक्शा दुरूस्त होने से अपीलार्थीगण प्रभावित होंगे इसका रेस्पोडेन्ट को पूर्ण ज्ञान था फिर भी रेस्पोडेन्ट ने तथ्यों को छिपाते हुऐ बदनियतीपूर्वक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों एवं विधि से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 456 का नक्शे को दुरूस्त करने पर अपीलार्थीगण का खसरा नम्बर 399 का नक्शा भी प्रभावित होता है ऐसी स्थिति में प्रकरण में काफी पेचिदगिया उत्पन्न हो गई है, जिससे वाद की बहुल्यता होने की पूर्ण संभावाना है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2018 के संदर्भ में हल्का पटवारी ने बताया कि तुम्हारा नक्शा भी उक्त निर्णय से प्रभावित होगा तत्पश्चात् अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होने कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया तब अपीलार्थीगण ने बडी मिन्नते की तो अधिवक्ता ने उक्त निर्णय की नकल न्यायालय से दिनांक 01.08.2018 को प्राप्त की, इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त निर्णय का ज्ञान दिनांक 01.08.2018 को हाने से उक्त अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा उक्त विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 व 5 से 8 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जगवारामगढ के निर्णय दिनांक 08.05.2018 के विरूद्ध दिनांक 06.08.2018 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो स्पष्ट तौर पर मियाद बाहर है तथा अपीलान्ट का यह लिखना कतई मिथ्या व विरचित है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का ने दी हो क्योंकि अपीलान्ट ने अपील के पैरा संख्या 3 में यह तथ्य अंकित किया है कि उक्त मुकदमें में हो रही कार्यवाही की उन्हे जानकारी है तथा इस मुकदमें से सम्बन्धित सभी दस्तावेजात कार्यवाही करने हेतु अपने वकील का सौप दिये थे किन्तु अधिवक्ता द्वारा उक्त मुकदमें में कोई कार्यवाही नही की गई और ना ही वरवक्त सुनवाई उपस्थित ही हुऐ इस प्रकार अपीलान्ट ने एक और निर्णय व कार्यवाही की जानकारी पटवारी द्वारा दिया जाना अंकित किया है और दूसरी और अपील के अभिवचनों में प्रकरण की जानकारी होना स्वीकार करते हुऐ अपने अधिवक्ता द्वारा समय पर सही पैरवी नही करने का दोषारोपण किया है, इस प्रकार अपीलान्ट ने झूठे तथ्य अंकित करते हुए न्यायालय श्रीमान् के समक्ष मलन हाथों से यह अपील व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी कानून कभी इजाजत नही देता और ऐसे झूठे व बनावटी तथ्यों के आधार पर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र एवं उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करता है तो वह दोषी माना जाता है तथा ऐसा प्रार्थना खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्रकरण के सम्बन्ध में सजग रहते हुऐ पैरवी नही करता है या अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही करते हुऐ अधिवक्ता पर दोषारोपण करता है तो न्यायालय द्वारा स्वीकार नही किया जा सकता क्योंकि यह सद्भावी कारण नही माना गया है ऐसी ही प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. जितेन्द्र सिंह वगै. बनाम निर्वाण चेरीटेबल ट्रस्ट (2017 (1) आरआरटी 711) एवं श्रीमती शान्ति वगैरहा बनाम जगदीश आचार्य वगै. (2018 (1) आरआरटी 188) पर यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ऐसे प्रार्थी मियाद की छूट पाने के अधिकारी नही होते है ऐसी स्थिति में चूंकि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम ना तो

संभागीय आयुक्त

P.T.O.

सद्भावी कारण अंकित करते हुऐ पेश किया है और दो विरोधाभाषी तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है, इसलिये ऐसे प्रार्थना पत्र पर मियाद में छूट दिया जाना कतई न्याय संगत नही है और खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.04.18 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तारीख पेशी नियत किये ही अप्रार्थी संख्या 9, 16,15, 18, 21, 22, 23 की तामील हेतु नियत की गई तत्पश्चात् अपीलान्ट को बिना सूचना दिये ही दिनांक 08.05.2018 को पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैम्प बोबाडी में पेश हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रार्थी चिरंजीलाल को ही सुनकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2018 पारित किया गया है जिसे लोक अदालत की भावना के अनुरूप एवं कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को प्रकरण से सम्बन्धित भू प्रबन्ध विभाग के पुराने रिकार्ड की प्रतिलिपियॉ, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।